संख्या-20/2016/277/नौ-5-16-44बजट/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
30प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में इलाहाबाद नगर में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम तट पर सुरक्षित एवं सुगम चार लेन मार्ग व सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-137/मु0म0प्र0/ डी0कारी0इला0/15, दिनांक 27 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-319/2015/4218/नौ-5-15-44बजट/2015, दिनांक 12.10.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम चार-लेन मार्ग व सेतु के निर्माण से संबंधित प्रायोजना के सापेक्ष रू0 87914.92 लाख (रू0 आठ अरब उन्यासी करोड़ चौदह लाख बयानबे हजार मात्र) पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो अरब मात्र) अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपए में)

क्र0	प्रस्तावित कार्य	शासनादेश संख्या 319/2015/4218/नौ-5-15-44बजट/2015, दि.क 12.10.2015 द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि/अनुमोदित लागत	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम चार-लेन मार्ग व सेतु के निर्माण।	87914.92	2500.00	20000.00
	योग	87914.92	2500.00	20000.00

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या-319/2015/4218/नौ-5-15-44बजट/2015, दिनांक 12.10.2015 की शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके

द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलीवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाई ओवर-24-वृहत निर्माण कार्य"* के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-20/2016/277(1)/नौ-5-16-44बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
8- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- मुख्य महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13- सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
14- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
16- नगर विकास अनुभाग-1
17- मेलाधिकारी, इलाहाबाद।
18- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।